प्रकरण सं. ....1/2016.... जसना उनवान मुमेरा कौ०

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख उस हुक्म जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/5/25	पत्रावली पेश हुई। वादी आदि० उप०। प्रतिवादी सं० 11 लगा० 13 के सम्मन पेश नहीं। वादी द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादीगण के सम्मन पेश नहीं कराये गये हैं। अंतिम अवसर देकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28/5/25 को पेश हो। 28/5/25	
28/5/25	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी एवं वादी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। तिर्पण सेर खर्चा सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली कैलाश कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। 28/5/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. जमना पुत्री केवलराम जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी पुरानी पुलिस चौकी के पीछे, बस स्टेण्ड पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–वादी

बनाम

1. सुरेश उर्फ पप्पु पिता रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी पशु चिकित्सालय के पास, देवली रोड़ पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. कान्तादेवी पुत्री रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी पशु चिकित्सालय के पास, देवली रोड़ पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. प्रेमदेवी पत्नी रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी पशु चिकित्सालय के पास, देवली रोड़ पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. बंशीलाल पिता केवलराम जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी पशु चिकित्सालय के पास, देवली रोड़ पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. भैरूलाल पिता केवलराम जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी पशु चिकित्सालय के पास, देवली रोड़ पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. रामेश्वरलाल पिता केवलराम जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी पशु चिकित्सालय के पास, देवली रोड़ पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. सत्यनारायण पिता केवलराम जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी पशु चिकित्सालय के पास, देवली रोड़ पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. रतनलाल पिता केवलराम जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी पशु चिकित्सालय के पास, देवली रोड़ पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. बालीबाई पुत्री केवलराम जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी पुर, हाल मुकाम खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा
10. संतोष पुत्री केवलराम पत्नी नारायण जाति ब्राहम्ण आंयु वयस्क निवासी पुर हाल मुकाम गोवलिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. कंकु पुत्री केवलराम पत्नी शिवप्रसाद जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी पुर हाल मुकाम मरेवड़ा तह0 आसीन्द जिला भीलवाड़ा
12. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)
13. उप–पंजीयक, भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घौषणा इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 01/2016 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन अनुपस्थित – इस वाद में आज तारीख 28.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

28/05/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा